

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (स)

बनाम सुजाष सिंह
किस्म मुकदमा 51/पत्र 136 CR नं. 21/2022 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरस्ताक्षर जज
<p>22.4.25</p> <p>23.05.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलान उ-प पक्षकारान् उपस्थित। पीतासीन अधिकारी तैरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौटिम में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.5.25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी कोई पक्षकारान् हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी व पक्षकारान् की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर एक्ट को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> 